न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुखराम खोखर
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
95 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	16.12.2020	23.12.2020

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री मदनलाल जैन निवासी डॉ.इमामम की गली काफला बाजार टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स तरूण एजेन्सी डॉ. इमामम की गली काफला बाजार टोंक जिला टोंक राज0

2– मैसर्स तरूण एजेन्सी डॉ. इमामम की गली काफला बाजार टोंक जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (iv) (v)एवं दण्डनीय धारा 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 23.12.2020**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.11.2020 को समय 12.45 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स तरूण एजेन्सी डॉ. इमामम की गली काफला बाजार टोंक जिला टोंक राज0पर पहुंचां। प्रोपरायटर की हैसियत से श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री मदनलाल जैन निवासी डॉ.इमामम की गली काफला बाजार टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स तरूण एजेन्सी डॉ. इमामम की गली काफला बाजार टोंक जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान के गोदाम मे **लाल मिर्च पावडर (खुला)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री दिनेश कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की प्रति प्राप्त की। तत्पश्चात विक्रेता दिनेश कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर तत्पश्चात किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:28:16 IST
Reason: SelfAttested

1161

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा दुकान के गोदाम मे प्लास्टिक के 10 कट्टो मे लगभग 500 किलोग्राम **लाल मिर्च पावडर (खुला)** रखे हुये मे से एक कट्टे का चयन कर को खोलकर उसमे से कुल 2 किलोग्राम वेईंग मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री दिनेश कुमार जैन को रू0 440/–अक्षरे चार सौ चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **लाल मिर्च पावडर (खुला)** 2 किलोग्राम को अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे प्रत्ये कमे 500–500 ग्राम भरकर प्लास्टिक के डिब्बो के ढक्कन को नियमानुसार एयरटाईट बंद कर, नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2660 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2660 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. दिनेश कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/4049 दिनांक 23.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1718/एक्ट/2020/1702 दिनांक 09.11.2020 अनुसार दिनेश कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **लाल मिर्च पावडर (खुला)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के रेगुलेशन नं. 2.3.14(15) अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का **लाल मिर्च पावडर (खुला)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (iv) (iv) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 (... धारा 49) में निर्धारित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:28:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **लाल मिर्च पावडर (खुला)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **लाल मिर्च पावडर (खुला)** का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) (iv) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री मदनलाल जैन निवासी डॉ.इमामम की गली काफला बाजार टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स तरूण एजेन्सी डॉ. इमामम की गली काफला बाजार टोंक जिला टोंक राज0पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती है तथा मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जप्त शुद्वा लगभग 500 किलोग्राम **लाल मिर्च पावडर (खुला)** को **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** मानते हुये खाघ सुरक्षा अधिकारी कि निगरानी मे पैकिंग करवाकर (ब्राण्ड नाम) सहित नियमानुसार करवा कर पालना से न्यायालय हाजा को अवगत करावे। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 23.12.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

[illegible]
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

([illegible])
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:28:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner